समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. /निगरानी/15 निग/3867-II-15

1. श्रीमती अयोध्याबाई पत्नी श्री मिश्रीलाल
2. प्रकाश आ0 श्री मिश्रीलाल
3. विनोद आ0 श्री मिश्रीलाल
4. महेश आ0 श्री मिश्रीलाल
5. अशोक आ0 श्री मिश्रीलाल

निवासीगण इन्दौर नाका सिहोर
तहसील एवं जिला सिहोर म0प्र0 ..... आवेदकगण

विरूद्ध

सुदेश राय आ0 श्री गेन्दालाल जी राय
निवासी ग्राम बढियाखेडी तहसील
एवं जिला सिहोर म0प्र0 .....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान तहसीलदार तहसील नरसिहंगढ जिला राजगढ द्वारा प्रकरण क0 08/अ–70/14–15/ में पारित आदेश दिनांक 21/09/15 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा कस्बा सिहोर स्थित भूमि खसरा क0 949 एवं खसरा क0 1050/1 रकवा 2.540 हे0 भूमि के सीमांकन हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण क0 142/अ–12/13–14 दर्ज करते हुए राजस्व निरीक्षक को उक्त भूमि का सीमांकन करने के आदेश दिये । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा एकपक्षीय सीमांकन कि कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि के अंश भाग पर आवेदकगण का कब्जा होने का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिनियम कि धारा 250 का प्रकरण प्रस्तुत किया गया । प्रकरण जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक क0 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विभिन्न आपत्तियो सहित आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आपत्तियो पर नियमानुसार विचार किये विना ही आपत्ति आवेदन पत्र को निरस्त करने के आदेश दिये ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.-3867/II/15 ...... जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	अयोध्या बाई कार्यवाही तथा आदेश सुरेश राय	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16.	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री उमाशंकर नामदेव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रश्नाधीन आदेश का परिशीलन किया। प्रकरण में मुख्य विवाद सीमांकन से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन प्रकरण में ऐसा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित हुए होने की सम्भावना हो। तह० द्वारा प्रकरण अभी आवेदक के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है जहां उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। इसके साथ ही आवेदक को अपने पक्ष समर्थन में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया था किन्तु उनके द्वारा रा०मं० की ओर से दिए गये अवसर का लाभ उठाते हुए ऐसा कोई अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इनके हित प्रभावित वर्तमान में हुए	

[कृ. प. उ.

R. 3867/11/15

क्रमांक

स्थान तथा दिनांक	अयोध्यावाद कार्यवाही तथा आदेश निर्देश (८)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	होने की पुष्टि होती। ऐसी स्थिति मे अधी०-न्याया० के प्रश्नाधीन आदेश मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण मे ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी इसी स्तर अग्राह्य कर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०रि० हो। ह० सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.